NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganized Sector) Scheme, 2015

NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganized Sector) Scheme, 2015

1. Background

1.1 One of the major characteristics of the Indian economy is the contribution of a vast majority of labour employed in the unorganised sector. The economic survey of India (2007-2008) and National Sample Survey unorganized sector (2009-2010) have estimated the employment in this sector at about 93-94% of the total workforce. Its contribution to the GDP is estimated to be more than 50%.

1.2 Majority of unorganised workers (about 52 per cent) are employed in agriculture. Other major categories include construction workers, workers in small enterprises, workers employed through contractors even in large enterprises, artisans/craftsman, home based workers, workers depending upon forest produce, fisheries, self-employed workers like rickshaw pullers, auto drivers, coolies etc.

1.3 The distinguishing feature of the unorganised sector is non-applicability of most of the labour laws and other regulations providing for decent working conditions, job security and social security to the workers. The unorganised workers lack collective bargaining power and are therefore susceptible to excessive exploitation. They work under poor working conditions and receive far lower wages/remuneration as compared to the organised sector, even for comparable jobs. Most of the employment in this sector is seasonal and the workers therefore have no job guarantee. This also leads to large scale migration of workers from one place to another leading to un-stability of work and residence which further often leads to discontinuity of the education of their children. In cities, they live in slums without proper housing and sanitation. Health care and maternity benefits which are statutorily available in the organised sector are not available for them. The

legislations providing for social securities for old-age, health-care and assistance in the event of death, marriage and accidents etc., like the Workmen's Compensation Act, 1923; Employees State Insurance Act, 1948; Maternity Benefits Act, 1961; Industrial Disputes Act, 1974; Payment of Gratuity Act, 1972; Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 etc., do not apply to them. The combined effect of the above factors is that many of them are generally, forced to lead an undignified and servile life.

1.4 **Existing Legal Frame Work**

Although there are a large number of categories of employment in the unorganized sector, legislation providing for working conditions etc., have been enacted only in respect of few categories like:-

- Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948;
- Beedi and Cigar Workers (Condition of Employment) Act, 1966;
- Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979;
- Cine-Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Rules, 1984;
- Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996;
- Prohibition Of Employment As Manual Scavengers And Their Rehabilitation Act, 2013.

1.5 In order to provide for social security to all categories of unorganised workers, the Central Government has also enacted an umbrella legislation by the name of Unorganised Workers Social Security Act, 2008.Various social security schemes have been/are required to be floated for the benefit of the workers under the Building and Construction Workers Act, 1996 and Unorganised Workers Social Security Act, 2008.

2. Scheme for providing legal services.

2.1 The enactment of the few statues as mentioned herein above does not appear to have made any appreciable difference to the lives of the workers inter-alia, for the following reasons:-

a) The Social Security Act,2008 does not statutorily provide any mechanism to implement the schemes and there appears to be no sanction against a refusal of the concerned authorities to extend the benefits of the schemes to eligible workers.

b) Very few States have constituted the Social Security Boards and have framed rules as envisaged under Section 14 of the Act. The result is that in many states, no welfare schemes are being administered and even where the schemes are in place, there is no effective monitoring. Similarly, all the states have not yet established the Building and other Construction Workers Welfare Boards as mandated under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act,1996 and consequently, no security schemes have been floated for these workers.

c) Although cess is being collected by many states under Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act 1996, utilisation of cess amount for the benefit of the workers is abysmally low. This may be due to very low registration of workers and / or non extension of benefits even to the registered workers.

d) The schemes and the benefits available thereunder are not being sufficiently publicised. Workers in the unorganized sector being generally uneducated and not unionised are mostly unaware of the schemes.

e) Workers Facilitation Centres as envisaged under section 19 of the Social Security Act 2008 have not been set up by any State.

f) There is no responsibility of the employer /contractor to get their workers registered under any of the schemes. It is for the workers

to apply for the same and they are unable to do so due to lack of awareness and complexity of the procedure.

g) Separate registration is required for each scheme which makes it difficult for workers to avail benefits under all the schemes available to them in case of need.

h) The registration under the scheme is generally non-portable and therefore, workers in most of the categories being migrant workers are unable to avail the benefits and are therefore reluctant to register themselves under the scheme.

2.2 The Legal Services Institutions can play an important role in bridging the gap between the implementing authorities and target beneficiaries. With this object in view, the National Legal Services Authority had adopted the Scheme i.e. National Legal Services Authority (Legal Services to the Workers in the Unorganised Sector) Scheme, 2010 in the meeting of the Central Authority of NALSA held on 08.12.2010.

2.3 However, the magnitude of the problem and the fact that the benefits of the legislations are still elusive to the needy workers even after several years of their enactment has given rise to the need for more focused attention to this sector. The present revised scheme is meant to achieve this purpose.

The terms PLVs, Legal Services Clinics, Front Office , Panel Lawyers and Retainer Lawyers will mean the same as defined under the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 and National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011 and the NALSA Scheme for Para Legal Volunteers (Revised) and Module for the Orientation – Induction – Refresher Courses for PLV Training.

3. Name of the Scheme

The Scheme shall be called "**NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganized Sector) Scheme, 2015**".

4. Objectives

1. To institutionalize essential legal services to all unorganized workers.
2. To get the gaps in legislation/implementation plugged through coordination with government authorities and by initiating public interest litigation.
3. To mobilize the machinery of the State Government and the District Administration to identify and register all unorganized workers in all categories and to extend the benefits of all government schemes, as applicable to them.
4. To spread awareness among the employers regarding the statutory provisions and the need for providing decent working conditions, living wages and social security to the workers.
5. To disseminate information among the workers regarding their entitlements under the existing legislations and schemes.
6. To provide counselling and assistance to all categories of unorganized workers for their registration with the concerned authorities under the schemes available for their category.
7. To assist the workers in availing the benefits of the scheme for which they are registered as per their need/entitlements.

5. Guiding Principles

The following principles shall be borne in mind by all Legal Service Institutions while implementing the scheme for the unorganized workers:-

5.1 The Preamble of the Constitution of India assures equality of status and opportunity to all citizens and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual. Article 42, mandates that the State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief. By virtue of

Article 43, the State is obliged to secure to all workers, work, a living wage, condition of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure, social and cultural opportunities.

5.2 The Preambular promise of upholding the dignity of the individual cannot be fulfilled unless the dignity of labour is ensured.

5.3 The unorganized sector is one of the marginalized sections of the society and they, as citizen of the country, are equally entitled to the right to work, just and humane conditions of work, living wages, maternity relief and a decent standard of life. It is the statutory mandate of the Legal Services Authorities to facilitate realization of this Constitutional assurance. The Legal Services Authorities have to act as watchdogs against administrative inaction.

5.4 The welfare measures initiated by the Government in the form of legislations or schemes etc. require the intended beneficiaries or the victims to mobilize the system for realization of their rights/entitlements. The workers in the unorganized sector belonging as they do, to the deprived and vulnerable sections of the society do not possess the capacity to mobilize the system. It is the job of the Legal Services Authorities to provide them support in getting justice to their doorsteps.

5.5 The large number of categories of the unorganized workers,, large population in each category and their vast geographical spread necessitates a project-approach to the issue of providing legal services to them. An institutionalized setup, committed work force and sustained efforts for a considerable period of time are required to be able to make them capable of realizing their constitutional rights.

Plan of Action

6. Setting up of Special Cells

6.1 In order to provide effective legal services to the workers in this sector, each State Legal Services Authorities (SLSAs) shall

constitute a special cell focusing exclusively on these services. The cell shall be manned by one panel lawyer specialising in Labour Laws, one counsellor/consultant having requisite qualification/experience in relevant field, wherever feasible, representative of an NGO doing demonstrably good work in the area and such number of Para Legal Volunteers, as the SLSA may prescribe .

6.2 The functions of the special cell shall be:

I) to organize and conduct Legal Awareness/Literacy programmes, training programmes and seminars for unorganized workers;

ii) to co-ordinate with government authorities in relation with registration and extention of the benefits of the schemes to the unorganized workers;

iii) to facilitate and provide assistance in filing , processing and furnishing application form for registration and in availing benefits of the schemes to the unorganized workers;

iv) to provide legal assistance and legal aid to the unorganized workers in respect of any claim or defence before any court or other authority;

v) any other function that the State Authority may prescribe for them.

6.3 The special cell shall work under the guidance of the Member Secretary or any other officer of the Authority, as nominated by the State Authority, and shall file periodic reports of the progress of its assigned duties with him.

6.4 The members of the cell shall be paid honorarium for each of the duties at such rates, as may be fixed by the State Authority.

7 Identification of Unorganized Workers

7.1 The first job for the Legal Services Institutions is to identify the categories and population of unorganised workers operating in their respective areas, by seeking the data available with the Labour Department/Social Welfare Department of the State and if necessary, conducting surveys either themselves or in collaboration with law students and NGOs operating in the area.

7.2 In the process of identification, special efforts should also be made to identify any child labour or bonded labour and in case any workers in the said prohibited categories are found, the Legal Services Authorities shall inform the concerned authorities and facilitate their rescue, release and rehabilitation, as provided under the Bonded Labour System (Abolition) Act 1976, The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act 1986 and Juvenile Justice Act 2000.

7.3 The State Authority may fix timelines for identification of all categories depending upon the area, population and other relevant factors in each state.

8 Conditions of work and minimum wages

The State and District Legal Service Authorities shall, in collaboration with the State and District Administration and local NGOs, assess the need of statutory regulation of conditions of work and minimum wages etc., for the categories of Unorganized Workers particularly, of Domestic Workers and if found necessary, the State Legal Services Authority shall take the requisite steps to get the same notified.

9 Setting up of State Social Security Board and Building & Other Construction Workers Welfare Boards

Wherever the Social Security Board and Building & Other Construction Workers Welfare Boards have yet not been set up, the State Legal Services Authorities shall coordinate with the State Government and, if necessary, institute, with the approval of the Hon'ble Executive Chairman, SLSA, Public Interest Litigation in the respective High Courts for getting these boards set up, as soon as possible.

10 Utilisation of Cess

State Legal Services Authorities shall coordinate with the Building and Constructions Workers Welfare Boards to ensure that the cess collected by them does not keep lying in fixed deposits and is actually utilised for the benefit of the needy workers as per the schemes available. The State Authorities shall seek relevant information from the boards, encourage the workers to apply for the benefits and then, coordinate with the boards to provide the said benefits.

In case of denial of due benefits to any worker, legal remedies can be prosecuted on his behalf by the State Legal Services Authority through the Special Cell for Unorganized Workers.

11 Government Schemes under the statues

Legal Services Authorities shall move the State Governments to notify the schemes relevant to the category of unorganised sector operating in the States. This also, if necessary, can be achieved through institution of Public Interest Cases, with the approval of the Hon'ble Executive Chairman.

12 Legal Awareness

12.1 After identification of the unorganised workers in each category, legal awareness programmes may be organised about the different schemes and social security measures available for such categories. The special cells for unorganized workers shall

organize legal literacy camps for this purpose preferably, at their place of work itself or at community centres etc.

12.2 All State Legal Services Authorities shall publish booklets/pamphlets containing the details of the available schemes, their eligibility criteria and procedure for registration for obtaining the benefits as per the requirements of the workers. Copies of the booklets/pamplets shall be kept available in all Front Offices, Legal Services Clinics and the place of sitting of the Special Cell and shall be distributed in the legal awareness/literacy programmes.

12.3 Information regarding the abovesaid details should also be disseminated through Doordarshan, All India Radio and Community Radio.

12.4 The Labour and Social Welfare Departments of the State should be requested to display the telephone numbers and helpline numbers of the Legal Services Institutions and the members of the Special Cell.

13 Specialised Training for PLVs

State Legal Services Authorities shall conduct specialized training programs for the paralegal volunteers focusing on the needs of the particular categories of Unorganised Workers as are operating in that area and the benefits which they can avail from the government schemes. PLVs should be trained inter-alia to educate the workers, help them identify the benefits they should seek and to liaise with the authorities for making the said benefits available to the needy workers.

14 Workers Facilitation Centres

State Legal Services Authorities shall coordinate with the Labour Departments of the State for setting up of worker's facilitation centres as envisaged under Section 9 of the 2008 Act. They may also set up legal services clinics manned by specially trained PLVs/NGOs, to be attached to such centres.

15 Decent Working Conditions

Some of the Statutes like the Building and Other Construction Workers (Conditions of Service) Act and Beedi and Cigar Workers Conditions of Employment Act have provisions to regulate the minimum working conditions for all workers employed in the said sectors. Even in other sectors where the statutory provisions are not available, the requirement of having proper wages and humane work conditions cannot be over emphasized.

State Legal Services Authorities may launch campaigns, in collaboration with law students and suitable NGOs to ensure that the employers provide decent conditions of work to the unorganised sector workers, abiding by all the statutory provisions laid down for this purpose.

16 Seminars for Employers

State Legal Service Authority and the Special Cell for unorganized sector shall organize seminars/colloquia for making employers aware of their statuary duties and the need to fulfill the genuine requirements of the workers.

17 Rehabilitation Schemes

Certain statutes provide for rehabilitation of workers like in Section 13 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013. State Legal Services Authorities shall coordinate with the concerned State authorities either themselves or through coordinating with NGOs to frame rehabilitation schemes for the erstwhile manual scavengers as per the provisions of the said Acts.

18 Legal Assistance and Legal Representation

The special cell for Unorganized Workers shall provide counselling, legal assistance and legal aid by way of legal representation before any court or other authority, as required, to all Unorganized Workers.

नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

1. पृष्ठभूमि

1.1 भारतीय अर्थ व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कामगारों की एक बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2007-2008 एवं 2009-2010 के नेशनल सैंपल सर्वे अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर ने अनुमान लगाया है कि कुल कामगारों का 93-94% असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 50% से अधिक है।

1.2 असंगठित कामगारों की अधिक संख्या (लगभग 52 प्रतिशत) कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है, दूसरे बड़े क्षेत्र में निर्माण, लघु उद्योग, ठेकेदारों द्वारा बड़े उद्योगों में नियोजित कामगार, घरेलू कामगार, ऐसे कामगार जो जंगलों की पैदावार पर निर्भर हैं, मछली पालन एवं स्वत: रोजगार जैसे रिक्शा खींचना, आटो चलाना, कुली आदि शामिल हैं।

1.3 असंगठित क्षेत्र की खास बात यह है कि वहां ज्यादातर श्रम कानून लागू नहीं होते है। इसमें काम करने वालों की दशा दयनीय है। न वे सुनिश्चित रोजगार पाते हैं, न उनको सही वेतन मिलता है और न ही उन्हें कोई कल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। इस क्षेत्र में रोजगार हमेशा नहीं होता एवं इसलिए काम की कोई गारंटी नहीं होती। वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं क्योंकि काम की स्थिरता नहीं होती एवं अक्सर उनके बच्चों की पढाई भी छूट जाती है। शहरों में वह झुग्गी में रहते हैं जहां घर एवं शौच का प्रबंध नहीं होता है। स्वास्थ्य सेवा एवं प्रसूति लाभ जो संगठित क्षेत्र में उपलब्ध हैं उनके लिए नहीं हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिानियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिानियम 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, औद्योगिक उपवाद अधि-नियम 1947, उपदानसंदाय अधिनियम 1972, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्णउपबंध अधिनियम 1952 आदि में अधिनियमित विधियां वृद्धावस्था, स्वास्थ्य सेवा एवं सहायता, मृत्यु विवाह तथा दुर्घटना आदि की दशा में भी इन पर लागू नहीं होतीं। इन सारे तथ्यों का मतलब है कि आम तौर से शोषित जीवन जीने के लिए ये मजबूर हो जाते है।

1.4 **मौजूदा विधि ढांचा :** हालांकि जहां असंगठित क्षेत्र में नियोजन की श्रेणियां बड़ी संख्या में हैं, कार्य वातावरण हेतु प्रदान किये जाने वाले विधान इत्यादि केवल कुछ श्रेणियों में ही लागू किये गए हैं जैसे-

- डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948

- बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) 1966
- अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त अधिनियम) 1979
- सिनेमा कर्मकार एवं सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन अधिनियम) नियम 1984
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996
- हस्त चालित खनिक नियोजन प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

1.5 असंगठित कामगारों के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार ने प्रभावशाली कानून असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के नाम से लागू किया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत कर्मकारों के हितों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समुचित प्रचार की आवश्यकता है।

2. विधिक सेवा प्रदान करने हेतु योजना

2.1 यहाँ ऊपर वर्णित विधानों का अधिनियमन, कामगारों के जीवन में कुछ सराहनीय परिवर्तन लाता हुआ प्रतीत नहीं होता है जिसके निम्नलिखित कारण हैं :-

(क) सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 वैधानिक तौर से योजना को लागू करने की कोई प्रक्रिया विहित नहीं करता है एवं ऐसा लगता है कि योग्य कामगारों को योजना के लाभ के लिए सम्बंधित प्राधिकरणों के इनकार के विरुद्ध स्वीकृति नहीं है।

(ख) बहुत कम राज्यों ने सामजिक सुरक्षा बोर्ड बनाए हैं एवं अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत नियम बनाये हैं। नतीजा यह है कि कई राज्यों में कल्याण योजना नहीं चलायी जा रही है एवं जहां योजनायें हैं वहां उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। समानतः सारे राज्यों में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधि-नियम, 1996 के अन्तर्गत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड नही बनाये गये हैं एवं फलस्वरूप कोई सुरक्षा योजना भी इन कामगारों के लिए नहीं है।

(ग) हालांकि कई राज्यों में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कर लिया जा रहा है, कर का उपयोग कामगारों के हित के लिए कम किया जा रहा है। उसका कारण कामगारों का कम पंजीकरण या पंजीकृत कामगारों के हितों का कम निस्तारण है।

(घ) योजना एवं हितों का पर्याप्त प्रचार भी नहीं किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगार सामान्यत: अनपढ़ और संगठित न होने के कारण ज्यादातर योजना से अवगत नहीं है।

(च) कामगार सुविधा केंद्र जैसा कि सामजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में बताया गया है किसी भी राज्य द्वारा नहीं बनाये गए हैं।

(छ) नियोक्ता या ठेकेदार पर किसी भी योजना के अंतर्गत कामगारों का पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी अधिरोपित नहीं है।

(ज) प्रत्येक योजना के लिए अलग से पंजीकरण कराना पड़ता है जिसके कारण जरूरत पड़ने पर कामगारों को समस्त योजनाओं का हित प्राप्त करने में दिक्कत होती है। कामगार को स्वयं आवेदन देकर पंजीकृत होना पड़ता है और वे इसके लिए अक्षम हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है और प्रक्रिया भी जटिल है।

(झ) इन योजनाओं का पंजीकरण सामान्यत: सहज सुलभ नही है और इसी कारण अधिकांश कामगार प्रवासी होने के कारण इस योजना का लाभ उठाने मे असमर्थ रहते हैं और फलस्वरूप इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने में अनिच्छुक रहते हैं।

2.2 विधिक सेवा संस्थाएं लागू करने वाले प्राधिकरण एवं लाभार्थियों के बीच की दूरी को कम करने में एक पुल का काम कर सकती हैं। इसी उद्देश्य को घ्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने नालसा की केंद्रीय प्राधिकरण की बैठक जो 08.12. 2010 को हुई थी, में एक योजना को अपनाया है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र में कामगारों को विधिक सेवा) योजना, 2010 है।

2.3 जरूरतमंद कामगारों के हितों के लिए कानून बनने के कई वर्षों के बाद भी इन्हें उनका फल प्राप्त नहीं हुआ है व यह समस्या विकट है जिसके कारण तथा इस क्षेत्र में अधिक घ्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान संशोधित योजना इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही है।

अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी, विधिक सेवा क्लीनिक, फ्रंट ऑफिस, पैनल अधिवक्ता और प्रतिधारक अधिवक्ता जैसे शब्दों का अर्थ वही रहेगा जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधि) विनिमयन, 2010 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनिमयन, 2011 के तहत परिभाषित है।

3. योजना का नाम

यह योजना नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 कही जाएगी।

4. उद्देश्य

1. सभी असंगठित कामगारों तक आवश्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना।

2. सरकारी प्राधिकरण से सहयोग कर तथा जनहित याचिका द्वारा विधान/क्रियान्वयन में दूरी को समाप्त करना।

3. राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन की व्यवस्था का इस्तेमाल सभी वर्गों के असंगठित कामगारों की पहचान कराना व उन्हें पंजीकृत कराना तथा सभी सरकारी योजनाओं के लाभों को योग्य लाभार्थियों तक पहुँचाना।

4. नियोक्ताओं को वैधानिक प्रावधानों तथा कामगारों को कार्य हेतु अच्छा वातावरण, आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना।

5. कामगारों में वर्तमान विधान एवं योजनाओं के अंतर्गत उनकी पात्रता के बारे में सूचना फैलाना।

6. असंगठित क्षेत्रों के सभी वर्गों के कामगारों की अनेक वर्ग के लिए उपलब्ध योजनाओं के अंतर्गत संबधित प्राधिकरण में उनके पंजीकरण के लिए सहायता एवं सलाह देना।

7. कामगारों को योजना के लाभों को प्राप्त करने में सहायता देना जिनके लिए वे अपनी जरुरत/ योग्यता के अनुसार पंजीकृत हैं।

5. मार्गदर्शक सिद्धांत

सभी विधिक संस्थानों द्वारा असंगठित कामगारों के लिए योजना लागू करते समय निम्नलिखित सिद्धांत को धयान में रखा जाएगा।

5.1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा व अवसर की समानता सुनिश्चित करती है तथा उनके गौरव का सम्मान करते हुए उनके बीच भाई–चारे को बढ़ती है। अनुच्छेद 42 में आदेशित है कि राज्य कार्य के लिए न्यायोचित एवं मानवीय स्थिति तथा मातृत्व लाभों को सुरक्षित रखने हेतु प्रावधान बनाएगी। अनुच्छेद 43 द्वारा, राज्य सभी कामगारों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करते हुए कार्य स्थिति तथा पूर्ण मनोरंजन, अवकाश, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करेगी।

5.2 प्रत्येक नागरिक के गौरव को बनाये रखने का उद्देश्य वचन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि एक कामगार का गौरव सुनिश्चित नहीं किया जाता।

5.3 असंगठित क्षेत्र समाज के उपेक्षित क्षेत्रें में से एक है तथा वे देश के नागरिक होने के कारण काम का अधिकार, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य व्यवस्था, निर्वाह, मजदूरी, मातृत्व लाभ

तथा उचित जीवन स्तर के समान रूप से हकदार हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए यह वैधानिक आदेश है कि वह संवैधानिक सुनिश्चितताओं को वास्तव में उपलब्ध कराये। विधिक सेवा प्राधिकरणों को प्रशासनिक निष्क्रियता के प्रतिहित प्रहरी के रूप में कार्य करना होगा।

5.4 सरकार द्वारा विधानों/अथवा योजनाओं आदि के रूप में किये गए कल्याण कार्यों में उद्धिष्ट लाभार्थियों अथवा पीड़ितों को उनके अधिकारों व योग्यताओं को हासिल करने के लिए व्यवस्था का इस्तेमाल करने की जरुरत है। असंगठित क्षेत्र के कामगार समाज के वंचित एवं असुरक्षित क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं तथा वे व्यवस्था का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं होते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह न्याय प्राप्ति तक उनकी पहुंच स्थापित करने मे सहायता करे।

5.5 असंगठित क्षेत्र के कामगारों के वर्गों की बड़ी संख्या, प्रत्येक वर्ग में बहुत बड़ी जनसंख्या तथा बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उनके फैलाव के कारण उन तक विधिक सेवा पहुंचाने के लिए परियोजनाबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है। उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था, वचनबद्ध कार्यबल तथा लगातार प्रयासों को लम्बे समय तक करने की जरुरत है।

कार्य योजना

6. विशेष सेलों की स्थापना :

6.1 इस क्षेत्र में कामगारों को उपयोगी विधिक सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य का विधिक सेवा प्राधिकरण एक विशेष सेल बनाएगा जो अलग से केवल इसी सेवा पर नजर रखेगा। सेल में एक पैनल अधिवक्ता जो श्रम विधि में विशेष अनुभव रखता हो, एक सलाहकार जिसके पास आवश्यक योग्यता सम्बंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो, जहां तक संभव हो, किसी एन.जी.ओ. का प्रतिनिधि जिसका इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य हो, होंगे तथा ऐसी संख्या में अर्धविधिक स्वयंसेवी होंगे जैसा कि राज्य प्राधिकरण निर्धारित करे।

6.2 विशेष सेल के निम्न कार्य होंगे –

(i) असंगठित कामगारों के लिए सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम, कानूनी अभिज्ञता / साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना एवं चलाना।

(ii) असंगठित कामगारों को योजनाओं का लाभ दिलाने व पंजीकरण के सम्बन्ध में सरकारी प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना।

(iii) असंगठित कामगारों को योजनाओं के हित प्राप्त करने हेतु फार्म भरवाने में सहायता प्रदान करना एवं पंजीकरण फार्म भरने एवं योजनाओं के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध कराने में सहायता।

(iv) असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके दावे में कानूनी सलाह व कानूनी सहायता देना जो उन्होंने किसी न्यायालय या प्राधिकरण में संस्थित किया हो।

(v) अन्य कोई कार्य जो राज्य प्राधिकरण उनके लिए नियत करे।

6.3 विशेष सेल सदस्य सचिव की सलाह या राज्य प्राधिकरण द्वारा नामांकित किसी दूसरे अधिकारी की सलाह से काम करेगा तथा सौंपे गये कार्यों की प्रगति की एक आवधिक रिपोर्ट विशेष सेल द्वारा फाइल की जायेगी।

6.4 सेल के सदस्यों को उनके द्वारा किये गए कार्यों का मानदेय दिया जाएगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा।

7. असंगठित कामगारों की पहचान

7.1 विधिक सेवा संस्था का पहला काम उनके क्षेत्र में असंगठित कामगारों की संख्या एवं उनके वर्गों का राज्यों के सामाजिक कल्याण विभाग एवं श्रम विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता लगाना है। आवश्यकता पड़ने पर स्वयं या विधि विद्यार्थियों या उस क्षेत्र के एन.जी.ओ. की सहायता से सर्वेक्षण किया जा सकता है ।

7.2 पहचान करने की विधि में, विशेष कोशिश इस बात की भी की जाए कि कहीं कोई बाल श्रमिक या बंधुआ मजदूर हो तो उसकी भी पहचान की जाए एवं अगर इन प्रतिबंधित वर्गों का कोई कामगार पाया जाए तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसे सम्बंधित प्राधिकरण को सूचित करे एवं उनके बचाव में सहायता करे, उन्हें रिहा कराने एवं उनके पुनर्वास हेतु पहल करे जैसाकि बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में उपबंधित किया गया है।

7.3 राज्य प्राधिकरण क्षेत्र, आबादी एवं दूसरे अंश के आधार पर सारे वर्गों की पहचान के लिए एक समय सीमा बांध सकती है।

8. कार्य की शर्तें एवं न्यूनतम मजदूरी

राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य एवं जिला प्रशासन के सहयोग एवं स्थानीय एन.जी.ओ. की मदद से काम की शर्तें एवं वैधानिक नियम एवं न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती है जो विशेषत: असंगठित कामगारों के वर्गों, घरेलू कामगारों के लिए, होगा।

एवं अगर आवश्यक हो तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसे प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है।

9. राज्य सामजिक सुरक्षा बोर्ड तथा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन

जहां भी सामजिक सुरक्षा बोर्ड तथा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड नहीं बनाया गया है। वहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य सरकार की सहायता ले, अगर आवश्यक हो तो, माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के अनुमोदन से सम्बंधित उच्च न्यायालय मे जनहित याचिका प्रस्तुत करने के द्वारा इन बोर्डो को जितना जल्दी से जल्दी हो बनायेंगी।

10. कर का उपयोग

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा लिए गए कर सावधि जमा में न पड़े रहकर वास्तव में जरूरतमंद कामगारों के हित में उपलब्ध योजना अनुसार काम में लाए जाए। राज्य प्राधिकरण बोर्ड से आवश्यक सूचना प्राप्त करेगी, कामगारों को हित के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी एवं तत्पश्चात बोर्ड के सहयोग से उन हितों को प्रदान कराएगी।

अगर किसी कामगार को संदेय किसी हित से इंकार किया जाता है तो तत्संबंध मे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विशेष सेल के माध्यम से असंगठित कामगारों के लिए कानूनी अभियोजन कर सकेगी।

11. कानून के अधीन सरकारी योजनायें

विधिक सेवा प्राधिकरण उनके राज्य में चल रही असंगठित क्षेत्रों की योजनाओं को प्रकाशित कराने के लिए राज्य सरकारों को कहेगी एवं अगर आवश्यक हुआ तो यह कार्य माननीय कार्यपालक अध्यक्ष की सहमति से जनहित याचिका द्वारा भी कराया जा सकेगा।

12. कानूनी जागरूकता

12.1 प्रत्येक वर्ग के असंगठित कामगारों की पहचान के बाद, भिन्न-भिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का प्रबंध किया जाए एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय जो इन वर्षो के लिए हैं उनके संबंध मे जागरूकता फैलायी जाये। विशेष सेल, असंगठित कामगारों के लिए कानूनी साक्षरता शिविर लगाएगा जो उनके कार्य के स्थान या समुदाय भवन में होगा।

12.2 सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसी पुस्तिकाएं/पर्चे प्रकाशित करेंगी जिसमें उपलब्ध योजनाओं, उनके लिए योग्यता मानदंड एवं कामगारों की जरूरतों के अनुसार हितों की प्राप्ति के लिए पंजीकरण के तरीके का ब्योरा दिया गया होगा। पुस्तिकाएं / पर्चे की प्रतियां स्वागत कक्ष, विधिक सेवा क्लिनिक, विशेष सेल स्थल पर उपलब्ध रहेंगी एवं इन्हें कानूनी जागरूकता/साक्षरता कार्यक्रम में बांटा जाएगा।

12.3 उपरोक्त जानकारी से सम्बंधित सूचना दूरदर्शन, आकाशवाणी व क्षेत्रीय रेडियो के माघ्यम से भी प्रसारित की जायेगी।

12.4 राज्य के श्रम एवं समाज कल्याण विभाग से निवेदन किया जाना चाहिए कि विधिक सेवा संस्थाओं एवं विशेष सेल के सदस्यों के टेलीफोन नंबरों व हेल्पलाइन नम्बरों को प्रकाशित करे।

13. अर्धविधिक स्वयंसेवीगण का विशेष प्रशिक्षण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अर्धविधिक स्वयंसेवी गण के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी जिसमें असंगठित कामगारों के वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हों तथा वे लाभ जिन्हें वे सरकारी योजनाओं से प्राप्त कर सकते हैं। अर्धविधिक स्वयंसेवी गण को अन्य प्रशिक्षणों के साथ-साथ कामगारों को शिक्षित करने, उनके हितों को पहचानने, जरूरतमंद कामगारों को उक्त लाभ उपलब्ध कराने में प्राधिकरण से संपर्क स्थापित करने का भी प्रशिक्षण दिया जाए।

14. कामगार सहायता केंद्र

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य के श्रम विभाग से 2008 अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दिए गए कामगारों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग करेगा। वे विधिक सेवा क्लीनिक भी स्थापित कर सकते हैं जिन्हें इन केन्द्रों से जुड़े विशेष रूप से प्रशिक्षित अर्धविधिक स्वयंसेवी गण / एन.जी.ओ. चलाएंगे।

15. उपयुक्त कार्य वातावरण

कुछ कानून जैसे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (सेवा शर्त) अधिनियम तथा बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्ते अधिनियम में उक्त क्षेत्रों में नियुक्त सभी कामगारों के लिए न्यूनतम कार्य शर्तों के निबंधन का प्रावधान है। उन क्षेत्रों में भी जहां कानूनी प्रावधान नहीं है, वहां उचित मजदूरी तथा मानवीय कार्य शर्तों की जरुरत के महत्व को अनदेखा नही किया जा सकता। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिविद्यार्थियों व उपयुक्त एन.जी.ओ. के साथ मिलकर अभियान चला सकती है ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को नियोक्ता द्वारा न्यायोचित कार्य वातावरण प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य के लिए प्रावधानित सभी कानूनों का पालन किया जाए।

---

16. नियोक्ताओं के लिए सेमिनार

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा असंगठित क्षेत्र के लिए गठित विशेष सेल, नियोक्ताओं को उनके कानूनी कर्तव्यों तथा कामगारों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के प्रति जागरूक बनाने के लिए सेमिनार / गोष्ठी आयोजित करेगी।

17. पुनर्वास योजनायें

कई कानूनों में जैसे हस्तचालित खनिक नियोजन प्रतिषेध व उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 13 में कामगारों के पुनर्वास का वर्णन है। राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण सम्बद्ध राज्य प्राधिकरण के साथ समन्वय से या तो स्वयं अथवा एन.जी.ओ. के सहयोग से उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्व हस्तचालित खनिकों के लिए पुनर्वास योजना बनाने के लिए सहयोग करेगा।

18. कानूनी सहायता एवं कानूनी प्रतिनिधित्व

असंगठित कामगारों के लिए गठित विशेष सेल, सभी असंगठित कामगारों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण, जैसी आवश्यकता हो, के समक्ष परामर्श, विधिक सहायता व कानूनी सेवा उपलब्ध करायेगा।